उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–2
संख्या:2568/VII-II/125-उद्योग/2007
देहरादूनः दिनांकः 24 फरवरी, 2009

अधिसूचना

औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 11/औ0वि0/07–उद्योग/2004 दिनांक 27 जनवरी, 2004 तथा 940/औ0वि0/07–उद्योग/04–05 दिनांक 9/10 नवम्बर, 2004 द्वारा जारी नीति/दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत निजी औद्योगिक आस्थान अधिसूचित किये जाने विषयक जारी नीति–निर्देशो के अधीन उद्योग निदेशालय के संस्तुति पत्र संख्याः 362/उ0नि0– नि0औ0आ0/2008–09 दिनांक 28 अप्रैल, 2008 के सन्दर्भ में मै0 आई0डी0ई0बी0 प्रोजैक्ट प्रा0लि0 द्वारा मै0 आई0डी0ई0बी इण्डस्ट्रियल इस्टेट, फेज–1, महुवाखेड़ागंज, काशीपुर, जिला ऊधमसिंहनगर के विस्तारीकरण हेतु ग्राम महुवाखेड़ागंज, तहसील काशीपुर, जिला ऊधमसिंहनगर में कय अनुबन्धित कुल 58.176 है0 अतिरिक्त भूमि जिसके खसरा नम्बर निम्न तालिका में अंकित हैं, को निम्नलिखित **प्रतिबन्धों एवं शर्तों के अधीन** श्री राज्यपाल महोदय निजी औद्योगिक आस्थान के विस्तार के रूप में विनियमित/अधिसूचित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

राजस्व ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	भूमि का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
ग्राम–महुवाखेडागंज तहसील–काशीपुर	533मि, 534, 535, 552, 575, 576/2, 576/3, 576मि, 578, 599/1, 599/2, 602, 603, 607, 609 से 612, 615 से 617, 620मि, 621, 621/1319, 622 से 623, 624 मि, 625, 626, 628, 629, 630मि, 631, 632मि, 633मि, 634, 635, 636, 639मि, 641मि, 643, 644, 646, 647, 651 से 657, 660, 661, 662मि, 663 से 666, 667मि, 668	58.176

2– उक्त तालिका में अंकित खसरा संख्या भारत सरकार की अधिसूचना सख्याः 50/2003–के0उ0शुल्क दिनांक 10 जून, 2003 के Annexure-II में जिला हरिद्वार के अन्तर्गत Category-B Proposed Industrial Estates/ Area के अन्तर्गत ग्राम महुवाखेड़ागंज, तहसील काशीपुर, जिला ऊधमसिंहनगर के अन्तर्गत अधिसूचित हैं जिन पर स्थापित होने वाले प्रस्तावित नयी औद्योगिक इकाईयों **(नकारात्मक सूची के उद्योगो को छोड़कर)** को विशेष प्रोत्साहन पैकेज का लाभ अर्हता पूर्ण करने पर अनुमन्य होगा। खसरा संख्या–621/1319 कुल रकबा 0.1620 है0 भारत सरकार से अधिसूचित नहीं है तथा इस भूमि पर केवल थ्रस्ट उद्योग की स्थापना पर ही विशेष पैकेज का लाभ अनुमन्य होगा।

3– GIDCR-2005 के पृष्ठ संख्या–34 से 37 में औद्योगिक आस्थान के विकास के लिये दिये गये मानकों विधियों/उपविधियों व उपबन्धों का पालन करना होगा।

4– इस विशेष औद्योगिक आस्थान की भूमि, आस्थान के प्रवर्तक कम्पनी द्वारा कय अनुबन्धित है। अतः आस्थान के नियोजित विकास हेतु निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व नियमतः भूमि कय विलेख पत्र (Sale Deed) निष्पादित कराकर GIDCR-2005 के उपबन्धों के अनुरूप (i) कृषि भू–उपयोग से औद्योगिक भू–उपयोग परिवर्तन सुनिश्चित कराना होगा और (ii) तत्पश्चात् औद्योगिक आस्थान तथा आस्थान में स्थापित होने वाली औद्योगिक इकाईयों के भवन मानचित्र सक्षम प्राधिकारी, उत्तराखण्ड राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण से स्वीकृत कराना होगा।

5– विशेष औद्योगिक आस्थान के रख–रखाव, अवस्थापना सुविधाओं के विकास तथा अन्य नागरिक सुविधाओं का दायित्व, आस्थान के प्रवर्तक कम्पनी का होगा। आंवटी इकाईयों को आवंटन से पूर्व आस्थान में उपलब्ध करायी जाने वाली अवस्थापना सुविधाओं तथा अन्य के सबंध में स्पष्ट सभी सूचनायें उपलब्ध करायी जायेगी।

6– आस्थान को विकसित करने के लिये विभिन्न विभागों जैसे वन एवं पर्यावरण विभाग, राजस्व विभाग, अग्निशमन विभाग, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन आदि से वांछित विभिन्न स्वीकृति/अनुमति/ अनुमोदन/ अनापत्ति आदि जो भी वांछित औपचारिकतायें अपेक्षित होंगी, वह प्रवर्तक/कम्पनी द्वारा स्वयं पूर्ण की जायेंगी।

7– सभी आवंटियों से यह अण्डरटेकिंग लिखित में देगी कि आस्थान में उद्योग स्थापना के उपरांत 70 प्रतिशत रोजगार/सेवायोजन स्थानीय व प्रदेश के लोगों को उपलब्ध कराया जायेगा तथा भूमि/भूखण्ड की (Sale Deed)/लीज डीड में भी इस शर्त को उल्लिखित किया जायेगा।

8– प्रवर्तक कम्पनी को आस्थान की स्थापना विकास के पूर्व वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार अथवा सक्षम प्राधिकारी से इसके लिए आवश्यक सहमति/अनापत्ति प्राप्त करनी होगी।

9– औद्योगिक आस्थान में स्थापित होने वाली औद्योगिक इकाईयों को विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विद्युत उप केन्द्र की स्थापना स्वयं प्रवर्तक द्वारा की जायेगी।

10– विशेष औद्योगिक आस्थान के विकास हेतु औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन तथा निदेशक, उद्योग, उत्तराखण्ड द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों यथा: प्रदेश की औद्योगिक नीति के अन्तर्गत ऐसी औद्योगिक इकाईयां, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा हतोत्साहित किया जा रहा है अथवा जो भारत सरकार की नकारात्मक सूची में सम्मिलित है, की स्थापना औद्योगिक आस्थान में नही की जायेगी।

11– उपरोक्त उल्लिखित प्रतिबन्धों/शर्तों का उल्लघंन करने पर अथवा अन्य किसी कारणों से जिसे शासन उचित समझता हो सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से यह अधिसूचना (नोटिफिकेशन) निरस्त किया जा सकता है।

(पी0सी0शर्मा)
प्रमुख सचिव

पृष्ठांकन संख्याः 2568 (1)/VII-II-/125–उद्योग/2007, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, उद्योग, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
4. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को अपर मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
5. संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, (औद्योगिक नीति संवर्द्धन विभाग) उद्योग भवन, भारत सरकार, नई दिल्ली।
6. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड राज्य ऊर्जा निगम, ऊर्जा भवन, देहरादून
7. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, देहरादून।
8. अध्यक्ष, समस्त उद्योग संघ, उत्तराखण्ड।
9. जिलाधिकारी, ऊधमसिंहनगर।
10. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, देहरादून।
11. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण परिषद, देहरादून।
13. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, ऊधमसिंहनगर।
14. मै0 आई0डी0ई0बी0 प्रोजैक्ट प्रा0लि0,सिगमा साफ्टटैक पार्क, 9 वीं व 10 वीं मंजिल, डेल्टा ब्लाक–7, व्हाईट फील्ड, मुख्य मार्ग, वरथुर लेक, बंगलौर।।
15. NIC Uttarakhand : सचिवालय परिसर को इस अनुरोध के साथ कि उक्त अधिसूचना को वैबसाईट पर प्रसारित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(पी0सी0शर्मा)
प्रमुख सचिव।